2 3 NOV 2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीया का नोटिस बाद तामील प्राप्त है जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीया हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। अप्रार्थीया बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीया के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया जाता है। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का चिंतन-मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा विपक्षी की खातेदारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर

आराजीयात के खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जा चुका है एवं प्रार्थी कम्पनी न्यायालय निर्णयानुसार मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षी को किये जाने हेतु तैयार एवं तत्पर है किन्तु विपक्षी द्वारा मुआवजा राशि के चैक प्राप्त नहीं किये गये एवं बावजूद नोटिस के अप्रार्थीया इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई ऐसी स्थिति में प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने प्रेषित किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 077/2020 (रे. वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम नरेश वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 19.01.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 6008220/– अक्षरे साठ लाख आठ हजार दौ सौ बीस रूपये मात्र में से विपक्षीया का मुआवजा राशि में निहित अपने हक हिस्से अनुसार रूपये रूपये 4856555/– अक्षरे अडतालीस लाख छप्पन हजार पांच सौ पचपन रूपये मात्र मुआवजा राशि का चैक प्राप्त नहीं करने से मुआवजा राशि माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2021/1003 दिनांक 20.10.2021 से प्राप्त चैक जो कि विपक्षीया प्रेमबाई के नाम पर जारी किया गया है को प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जावें एवं निर्धारित मुआवजा राशि का सिविल डिपोटिज हेतु नवीन चैक जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा जावें। पत्रावली बाद पालना के प्रार्थी कम्पनी द्वारा नवीन चैक प्रस्तुत करने पर पुनः पेश हों।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official